

जबाब पेश किया गया ज। शां पत्रावली

विवाह एवं प्रतिवादी वकील के जबाब की प्रति
उपलब्ध कराई गई। पत्रावली वास्ते शां पत्र
के कां मुं हेतु पत्रावली 30/10/19 का पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

11019

पत्रावली वादी के वकील के शां पत्र पर
तलब की गई। बकुलाय उप० चूली वार्ड
के कां मुं वादी गण की ओर से जरिघे
शाम सुल्धार वादी गण सं० 3 कपूरा राम पुत्र
गणेश जी गेली नि० सुमेरपुर ने शां पत्र पेश
कर निवेदन किया कि वादी गण एवं प्रतिवादी
गणों के बीच आपसी राजीनामा हो जाने से
अब कोई विवाद नहीं है इससे अब वाद का
आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादी
सं० 1 व 2 के बीच किसी प्रकार का कोई
लेन देन बकाया नहीं है तथा वर्तमान में





कलजा उतिवारी सं० २ का ही चला आ रहा है
वादी गणों को कोई उजर आपत्ती नहीं है तथा
न भविष्य में भी जायेगी। उक्त भूमि की बेवस्था
रजिस्ट्री की जानकारी वादी गणों को होने से
उक्त वाद विद्रोह किया गया है। पक्षकारान
रखी अपना-अपना वहन करेंगे। वादी की
पहचान वादी के वकील श्री हिमाल चन्द
की है।

इमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड
का अवलोकन व परीक्षण किया। वादी व
वादी के अधिवक्ता का सुना। वादी द्वारा
वाद विद्रोह किये जाने से वाद अविश्र
विद्रोह खारिज किया जाता है। पक्षकारान
रखी अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली
के सस सुनार होकर नम्बर से कम हो।
पत्रनिर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली